

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

..... बनाम

किस्म मुकदमा मुकदमा नम्बर सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

21/1/26

अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता अपीलान्त को दिवात दी जाती है कि अणामी पेशी ले यूव आकश्यड रूप से रेसपो. सं. 1 के आ. मु. कार्यवाही पेशा ब्रे पेशा नही करे की कूत में फावली अक्स तकमील में आणिल की जावगी। फावली आणडा डिनांक 24/2/26 को पेशा हो।

[Handwritten signature]

522
26/2/26

24/2/26

अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता अपीलान्त को पूर्वदिशिता को पाणना हेतु अंतिम अवसर दिना जाता है। फावली अधिनस्थ न्यायालय की तलब हो। फावली आणडा डिनांक 24/3/26 को पेशा हो।

[Handwritten signature]

24/3/26

अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। हमने फावली का अवलोकन किया प्रकरण में आदेशिता डिनांक 2/7/2025 को अधिवक्ता अपीलान्त को रेसपो. सं. 1 के आ. मु. की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तथा आदिनांक तक पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। लेकिन अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा आदिनांक ^{पर} भी रेसपो. सं. 1 के आ. मु. की कार्यवाही पेशा नही की गयी। पक्षीक कायम मुकाम को निर्धारित अधिकतम समय सीमा 30 दिवस में पक्षकार बनाया जाना होता लेकिन अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा आय पेशी पर भी आ. मु. कार्यवाही नही की गयी। लिहाजा अबत अपील ^{परिपे} खेट से जाने ले खारिज की जाती है। फावली फेसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही तामिल करवा हो।

उपरवत्त अधिवक्ता - पाली
रा. वाद संख्या: 75/2017
दफा खिं: 1/3 डुकार खिं
फावली प्राप शसंग

10/3/26